न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 72/2022
(GCMS 2022/251)(212575570688743)

गौरीशंकर सोनी पुत्र विष्णुदत्त, मोहित ज्वैलर्स, जैन सभा रोड़, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94144–33821)

<u>बनाम</u>

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>22.01.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गौरीशंकर सोनी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2022 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, पदमपुरसे सम्बन्धितहोने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर ने अपने पत्रांक एफ12(11)() राजस्व(आरटीआई)/2022/3874 दिनांक 10.08.2022 से उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को स्थानान्तरित कर दिया था। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपीलार्थी को निश्चित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गौरी शंकर ने सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. 10 जून 2022 को पदमपुर जनसुनवाई में 31 आरबी प्रथम जीवनदेसर सड़क सन् 2018 में स्वीकृत हुई थी जिसकी 52.50 स्वीकृत हुई थी, पर बिना काम कि[illegible] व्यय किया गया है, फिर भी सड़क नहीं बनी है इस बाबत [illegible] पत्र दिया था, उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित कापी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:23:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> 2. जिला कलक्टर महोदय को दिनांक 09.05.2022 को रा.उच्च मा. विद्यालयकी जमीन को जोहड़ पायतन से मुक्त करने बाबत लिखा था। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा पत्र क्रमांक एफ12(11)( )राजस्व/2022/2436 के द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी को लिखा था, इस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित कॉपी देने की कृपा करों जी।

तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर ने अपने पत्रांक रीडर/2022/435—436 दिनांक 29.09.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना निम्न प्रकार से है :
>
> 1. सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है, अतः सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पदमपुर से सूचना प्राप्त करें।
> 2. जोहड़ पायतन भूमि को जोहड़ पायतन से मुक्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में प्रकरण दायर करें।
>
> -sd-
> तहसीलदार (राजस्व)
> पदमपुर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर एवं अपने पत्रांक 1019—21 दिनांक 30.08.2022 से अपीलार्थी का पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पदमपुर, तहसीलदार, पदमपुर एवं अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, पदमपुर को स्थानान्तरित किया गया था और तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर ने अपने जवाब में बिन्दु संख्या 01 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पदमपुर से सम्बन्धित होना अंकित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:23:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि **वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है।** सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार तहसीलदार (भू.अ.), पदमपुर द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है परन्तु बिन्दु संख्या 02 में अपीलार्थी ने उसके द्वारा प्रस्तुत पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही है, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी ने उसे सक्षम न्यायालय में प्रकरण दायर करने हेतु लिखा है। इसलिए बिन्दु संख्या 02 हेतु तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवाने रिमाण्ड की जानी उचित प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.01.2024 को मेरे [illegible]खाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:23:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर